06/11/25	आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। अवलोकन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 155 व सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना (आर.ए. एस)

मुकदमा नम्बर – 55 / 25

दायर दिनांक – 11.8.2025

निर्णय दिनांक – 06.11.2025

उनवान

1. दयाराम पुत्र श्योराम जाति अहीर निवासी ग्राम नांगल खोडिया तहसील बहरोड़। ... प्रार्थी / प्रतिवादी

बनाम

1. सुबेराम उर्फ सुबेसिंह पुत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी, निवासी नांगलखोडिया तहसील बहरोड़। व अन्य ....अप्रार्थी / वादी

दावा विभाजन कृषि भूमि मुताबिक बाहमी बटवारा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :–

1. श्री हरदान गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माननीय न्यायाल के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 166 / 2012 बाबत इझस्तकरारहक तकसीम आराजी एवं व हुक्म ईम्नाई का बउनवानी सुबेराम उर्फ सुबेसिंह बनाम दयाराम वगैरह प्रस्तुत करते हुये वाद पत्र में वर्णित आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 39 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 1435 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 741 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 63 रकबा 0.36 हेक्टेयर, 251 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 420 रकबा 0.68 हैक्टेयर, 421 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 422 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 745 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 747 रकबा 0.52 हैक्टेयर, 751 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 754 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 755 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 756 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 757 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 760 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 987 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1124 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1135 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1252 / 1483 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 1431 रकबा 0.62 हैक्टेयर, 62 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 674 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 710 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 727 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 744 रकबा 0.52 हैक्टेयर, 746 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 749 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 750 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 759 रकबा 0.22 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगल खोड़िया, तहसील–बहरोड, जिला–अलवर (राज.) का विधिवत रूप से तकास्मा किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान का हिस्सा पृथक पृथक किया जाकर पृथक पृथक नम्बर कायम किये जाने अनुतोष चाहा गया। तथा अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

संख्या–1 (वादी) के खसरा नम्बर–420 रकबा 0.68 हैक्टेयर में अपने रिहायशी मकान एवम् 421 रकबा 0.04 हैक्टेयर में कुआ बना हुआ होना जिस पर वादी काबिज होना तथा कुआ एवं रिहायशी मकान में आवागमन किये जाने के लिये 10 फीट चौड़ा एवं मोड़ पर 13 फीट चौड़ा रास्ता होना कथित करते हुये विधिवत रूप से रास्ता कायम करते हुये आराजी मुतनाजा का विभाजन किये जाने एवं रास्ते में आवागमन करने में कोई बाधा कारित नहीं करने की हुक्म ईम्तनाई दवामी पारित किये जाने की प्रार्थना की गई है। जिस पर पक्षकारान की सहमति होना बताई जाकर अदालत हाजा द्वारा सहमति के आधार पर अप्रार्थी संख्या–1 (वादी) के चाहे अनुसार आराजी मुतनाजा का विभाजन करते हुये कुर्रे रिपोर्ट बनाये जाने के आदेश पारित कर दिये गये तथा तहसीलदार बहरोड़ द्वारा न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय एवं आदेश की पालना में कुर्रे रिपोर्ट तैयार कर पेश किये जाने पर अन्तिम निर्णय एवं पर्चा डिक्री पारित किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित अन्तिम निर्णय एवं पर्चा डिक्री दिनांक 25–01–2018 गलत रूप से जारी किये जाने एवं जिस पक्षकार का जिस आराजी मुतनाजा पर मौके पर कब्जा था, के विपरीत दीगर जगह हिस्सा कायम करते हुये किसी पक्षकार को मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज हिस्से से कम तो किसी पक्षकार को अधिक हिस्सा दिये जाने से व्यथित होकर प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या–1) द्वारा सक्षम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर (राज.) के समक्ष राजस्व अपील संख्या–16/2018 अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत करते हुये समस्त तथ्य प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–01–2018 अपास्त की जाकर मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर जिस हिस्सेदार का कब्जा है, के अनुसार मौका रिपोर्ट बनाई जाकर विभाजन किये जाने के आदेश पारित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई अपील को माननीय अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर (राज.) द्वारा सुनवाई हेतु दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन आदेश पारित करते हुये राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत कायम रखे जाने हेतु आदेश पारित किये गये लेकिन पटवारी हल्का नांगल खोड़िया द्वारा अपीलीय न्यायालय के स्थगन आदेश के प्रभावी होते हुये न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–01–2018 की पालना में मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट इन्तकाल संख्या–1094 दिनांक 09–03–2018 को प्रस्तुत करने पर माननीय तहसीलदार बहरोड़ द्वारा दिनांक 15–03–2018 को इन्तकाल स्वीकार करते हुये विभाजन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। इसके बाद माननीय अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील आधिकारी, अलवर (राज.) द्वारा बाद सुनवाई प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या–1) द्वारा प्रस्तुत अपील का विधिवत रूप से दिनांक 17–03–2021 को निस्तारण करते हुये निर्णय पारित कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं पर्चा डिक्री दिनांक 25–01–2018 विधि विरूद्ध, राजस्व रिकार्ड के विपरीत एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जे के विपरीत होना मानते हुये न्यायालय हाजा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं पर्चा डिक्री दिनांक 25–01–2018 अपास्त (निरस्त) किया जाकर पत्रावली को न्यायालय हाजा को रिमाण्ड करते हुये निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी (प्रतिवादी संख्या–1) उभयपक्षों की आपत्ति पर पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विभाजन के नियमों के नियम–18 से

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

21 की पालना कर पुनः अंतिम डिक्री पारित करे कि माननीय राजस्व अपीलीय न्यायालय भूमि प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय अधिकारी अलवर (राज.) ने न्यायालय हाजा के दिनांक 25-01-2018 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-03-2 1837 / 2 के विरूद्ध राजस्व अपील संख्या 17-03-2021 दायर की अन्तर्गत धारा-225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश करते हुये माननीय अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज.) द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय 17-03-2021 अपास्त किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-01-2018 बहाल कर यथावत किये जाने का अनुतोष चाहा गया। इस पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील को सुनवाई हेतु दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवत रूप से बाद सुनवाई अप्रार्थी संख्या-1 (वादी अपीलार्थी) द्वारा प्रस्तुत अपील / टीए / 1837 / 2021 / अलवर का अपने विनम्र निर्णय दिनांक 07-10-2024 द्वारा निस्तारण करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं पर्चा डिक्री 25-01-2018 विधि विरूद्ध, खिलाफ राजस्व रिकार्ड एवं खिलाफ मौका कब्जा होने के कारण अप्रार्थी संख्या-1 (वादी अपीलार्थी) की उपरोक्त अपील को खारिज फरमाते हुये माननीय अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर (राज.) के निर्णय दिनांक 17-03-2021 को बहाल रखते हुये अदालत हाजा को मूल पत्रावली लौटा दी गई। इस कार से माननीय अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर (राज.) एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-01-2018 को अपास्त फरमाया जा चुका है इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-01-2018 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत एवं तहसीलदार बहरोड द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या-1094 दिनांक 15-03-2018 भी स्वतः ही शुन्य प्रभावी हो चुका है। इस कारण दौराने मूल वाद कायम आराजी मुतनाजा का राजस्व रिकार्ड पूर्ववत कायम किया जाना तथा नामान्तकरण संख्या-1094 दिनांक 15-03-2018 निरस्त किया जाना न्यायोचित है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजिम आया है। यह कि माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर (राज.) द्वारा पारित निर्णयों के द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27-01-2018 की पालना में तहसीलदार बहरोड़ द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या-1094 दिनांक 15-03-2018 स्वतः ही शुन्य हो जाने के कारण निरस्त किया जाकर आराजी मुतनाजा का राजस्व रिकार्ड पूर्ववत कायम किया जाना न्यायोचित है जिसे पूर्ववत कायम नही किया गया तो प्रार्थना पत्र करने का मकसद ही फौत हो जावेगा एवं अप्रार्थी संख्या-1 (वादी) अपने नापाक मन्सूबों में कामयाब होकर मौके पर दर्ज राजस्व रिकार्ड की आड़ में जबरन कब्जा करने में सफल हो जावेगा जिससे अकारण ही पेचीदगियों पैदा होने के साथ साथ प्रकरण की बाहुल्तया को बढ़ावा मिलेगा। ऐसी सूरत में भी आराजी मुतनाजा के हाल राजस्व रिकार्ड को दौराने दावा कायम राजस्व रिकार्ड पूर्ववत कायम किया जाना न्यायोचित है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या-1) की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
हरोड़ (टपूतली-बहरोड़)

वाद संख्या-166/2012 बउनवानी सुबेराम उर्फ सुबेसिंह बनाम दयाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-01-2018 को माननीय अपीलीय न्यायालय भू-राजस्व अधिकारी एवं पदेन अपील अधिकारी अलवर तथा माननीय न्यायाजय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर द्वारा अपास्त फरमाये जाने के कारण माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की पालना में कायम इन्तकाल संख्या-1094 दिनांक 15-03-2018 स्वतः ही शुन्य प्रभावी होने के कारण उक्त इन्तकाल को निरस्त फरमाया जाकर आराजी मुतनाजा का दौराने जावा कायम राजस्व रिकार्ड पूर्ववत कायम किये जाने के कृपा पूर्वक आदेश पारित किये जायें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को द्वारा नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब पेश किया कि उत्तरदाता द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक तकसीम वाद पेश किया था। प्रतिवादीगण की तामील होने व वकालतनामा पेश होने पर जवाब दावा हेतु कई बार अवसर दिया। जिसके बाद भी जवाद दावा पेश नही करने की सूरत पर जवाब दावा बन्द किया गया। विधिवत रूप से प्रारभिक डिक्री पारित की गई। मौके पर जाकर मौके कि स्थिति के मुताबिक पुछताछ करके विधिवत रूप से बनायी गई। यदि प्रतिवादी को कोई उज्र या ऐजराज एवं बंटवारा में आपत्ती होती तो प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब दावा पेश किया जाना होता जो प्रतिवादी नम्बर एक ने कोई जवाब दावा पेश नही किया है। वक्त कुर्रे रिपोर्ट प्रतिवादी मौके पर मोजूद था। प्रतिवादी नम्बर 03 द्वारा उज्र किया था। उसी समय प्रतिवादी संख्या 01द्वारा आपत्ती पेश की जा सकती थी। लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 की मन्शा महज जमीन को मुक्दमें वादी में उल्जाये रखने एवं वादी को परेशान करने की है। जिस सूरत में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा बहस बुकुलाय सुनी एवं पत्रावली का अध्ययन किया। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 39 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 1435 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 741 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 63 रकबा 0.36 हेक्टेयर, 251 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 420 रकबा 0.68 हैक्टेयर, 421 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 422 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 745 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 747 रकबा 0.52 हैक्टेयर, 751 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 754 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 755 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 756 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 757 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 760 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 987 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1124 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1135 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1252/1483 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 1431 रकबा 0.62 हैक्टेयर, 62 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 674 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 710 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 727 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 744 रकबा 0.52 हैक्टेयर, 746 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 749 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 750 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 759 रकबा 0.22 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगल खोडिया, तहसील-बहरोड, के बाबत न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25.01.2018 को तकसीम डिक्री जारी कर तकासमा किया गया था। तहसीलदार बहरोड द्वारा इन्तकाल नम्बर 1094 ग्राम नांगलखोडिया दिनांक 09.03.2018 को विवादित आराजी को तकसीम किया गया था। इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2018 के विरूद्व प्रतिवादी न्बर 01 ने माननीय भू-प्रबंधक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। माननीय भू-प्रबधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 17.03.2021 को अपने निर्णय एवं आदेश से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

01.2018 को निरस्त कर पुनः सुनवाई कर अंकित डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया। माननीय भू-प्रबंधक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 16.04.2021 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में वादी द्वारा अपील पेश की गई। जो अपील दिनांक 07.10.2024 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा खारिज की गई। जिस सूरत में माननीय भू-प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर का निर्णय दिनांक 17.03.2021 को बहाल रखा गया। प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.01.2018 को प्रभावहीन होने के कारण इस आदेश के द्वारा तकासमा द्वारा दर्ज किये गये इन्तकाल नम्बर 1094 से पूर्व कि स्थिति बहाल करने का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पेश किया है। चुकि इस न्यायालय कि पूर्व निणर्य व डिक्री दिनांक 25.01.2018 को माननीय भू-प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 17.03.2021 को अपास्त एवं खारिज कर दिया है। जिस सूरत में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

-: आदेश :-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बहरोड़ को आदेश दिया जाता है कि वे विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 39 रकबा 0. 34 हैक्टेयर, 1435 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 741 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 63 रकबा 0. 36 हेक्टेयर, 251 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 420 रकबा 0.68 हैक्टेयर, 421 रकबा 0. 04 हैक्टेयर, 422 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 745 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 747 रकबा 0. 52 हैक्टेयर, 751 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 754 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 755 रकबा 0. 21 हैक्टेयर, 756 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 757 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 760 रकबा 0. 23 हैक्टेयर, 987 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1124 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1135 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1252/1483 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 1431 रकबा 0.62 हैक्टेयर, 62 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 674 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 710 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 727 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 744 रकबा 0.52 हैक्टेयर, 746 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 749 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 750 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 759 रकबा 0.22 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगल खोडिया, तहसील-बहरोड, के राजस्व अभिलेख की इन्तकाल नम्बर 1094 से पूर्व कि स्थिति बहाल करे। अहकाम जारी हो।

आज दिनांक 10.09.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना-II
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)